न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/95)

राजकुमार पुत्र दयानंद जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी सुरतपूरा तहसील राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री धीरेन्द्र सिह भदौरिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांकः 01.01.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चूरू) प्रार्थना पत्र संख्या 294/2025 के निर्णय दिनांक 11.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ (चूरू) ने राजस्व अभिलेख मे प्रचलित रास्ते का अंकन करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राज. भू–अभिलेख नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर अग्रीम कार्यवाही बाबत उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चूरू) को पेश किया। उक्त प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चूरू) ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2025 द्वारा तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 204, 87, 85, 83, 82, 733/70, 69, 63, 62, 49 मे से कुल 0.8760 हैक्टेयर भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट राजकुमार द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की खातेदारी कुषि भूमि मौजारोही सुरतपुरा के खसरा नं. 62 तादादी 2.16 हैक्टर व खसरा नं. 63 तादादी 5.74 हैक्टर स्थित है, जिसमें अपीलान्ट ढाणी बना कर परिवार सहित निवास करता है तथा अपनी उक्त खातेदारी भूमि के चारो तरफ बाड़ की हुई है। मौके पर कभी भी उक्त वादगत भूमि में किसी प्रकार का कोई कदमी/प्रचलित रास्ता ना तो था, ना ही प्रचलन मे ही रहा है, जिससे आदेश जैर अपील के द्वारा खसरा नं. 62 में से 240 वर्गमीटर व खसरा नं. 63 में 1710 वर्गमीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा पूर्णतयाः इकतरफा तौर पर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये इकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित कर रास्ता अंकन के आदेश मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से पारित कर दिये जो निरस्त योग्य है। आदेश जैर अपील से अपीलान्ट के खेत के बीचो बीच नया रास्ता कायम कर दिया, जिससे खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है, जिससे काश्त करने, फसल की सार सम्भाल, सिचाई करने मे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जबकि अपीलान्ट के खेत की उत्तर की ओर खसरा नं. 48 जो रेस्पोडेन्ट सं. 2 का है, के दक्षिण मे कटाणी मार्ग स्थित है। इसलिए अपीलान्ट के खेत खसरा नं. 62 व 63 में प्रचलित रास्ता होने का कथन पूर्णतया हास्यप्रद व अव्यवहारिक है। आदेश जैर अपील से दर्ज किया गया रास्ता, प्रचलित रास्ता के अनुसार अपीलान्ट के खेत तक खसरा नं. 204, 87, 85, 83, 82, 733/70 एवं 69 मे से होकर सदामत काल से चला आ रहा है, खसरा नं. 48 के काश्तकार के दक्षिण की तरफ स्वीकृतशुदा कटाणी रास्ता मौजूद है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को सदैव ही आवागमन करने हेतु कटाणी रास्ता उपलब्ध रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार की परिपत्र सन् 2016 का सहारा लेकर आदेश जैर अपील पारित किया है। साथ ही परिपत्र मे दी गई व्यवस्थाओ का पूर्ण एवं विधिक पूर्वक पालन नही किया गया है। उक्त परिपत्र मे स्पष्ट है कि हितबद्व व्यक्तियो को सुनवाई का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवसर दिया जायेगा। आदेश जैर अपील पूर्णतया इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस परिपत्र के अधीन आदेश जैर अपील सन् 2025 में पारित किया है अर्थात 9 वर्ष पूर्व उक्त तथाकथित रास्ता प्रचलन मे नही था। यदि होता तो उसी समय प्रथम परिपत्र सन् 2016 में ही पटवारी हल्का सरकार के निर्देशानुसार तहसीलदार को रिर्पोट करता और अंकन ही कार्यवाही की जाती। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे अंकित किया कि गुगल मैप मे रास्ता जैरकार होने के चिन्ह स्पष्ट अंकित है। गुगल मैप कोई प्रमाणित दस्तावेज नही है। उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारित प्रकरण में हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकार था, जिसे पक्षकार बनाये बिना व नोटिस दिये बिना, इकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट के हित सिधे तौर पर प्रभावित हुए है। अपीलान्ट व्यथित पक्षकार के रूप मे उपरोक्त अनुवानी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपीलान्ट की वादगत भूमि खेत खसरा नं. 62 व 63 मौजारोही सुरतपुरा तहसील राजगढ की हद तक निरस्त फरमाने की कृपा करे। आदेश जैर अपील के क्रम में राजस्व रिकोर्ड व नक्शे मे किये गये परिवर्तनो का पुनः स्थापित करने के आदेश फरमावें। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2024(2) पेज 788, RRT 2024(2) पेज 1279, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में केवल राजेन्द्र को ही पक्षकार बनाया गया है, सभी हितबद्व व्यक्तियो को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है, जबकि काफी खातेदारान की भूमि में रिकार्ड में कदीमी रास्ते का अंकन का आदेश दिया गया था। अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति अपील मे नही आया है। उक्त अपील में आवश्यक व्यक्तियो को पक्षकार नही बनाने के कारण अपील मिस जोइन्डर की तारीफ में आती है उक्त अपील अनकम्पलीट होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज की जावे। उन्होने आगे बहस करते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम नही किया गया है, पीढीयो से चल रहे कदीमी रास्ते का अंकन करने का आदेश दिया है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल सं. 1060 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा दर्ज हो चुका है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016, 30.09.2021 व 04.04.2025 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश दिया गया। उक्त कदीमी रास्ता से अपीलान्ट को किसी प्रकार से नुकसान नही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त रास्ते को बार–बार बन्द किया जा रहा था वर्तमान में दिनांक 19.05.2025 को पुनः खुलवाया गया था। अपीलान्ट ने एक दावा प्रस्तुत किया जिसमें सभी लोगो को पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ से दिनांक 03.07.2024 को स्टे लिया जो दिनांक 11.07.2024 को खारिज किया जा चुका है। अपीलान्ट Clean hand ने न्यायालय में नही आया है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 11.06.2025 के विरूद्व है जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 एवं राजस्थान भू. अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे गै. मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है, उक्त आदेश तहसीलदार राजगढ के प्रस्ताव दिनांक 09.06.2025 के अनुसरण में जारी किये गये है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2025 में अपीलान्ट के खसरो के साथ अन्य खसरो में भी रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि कई खातेदारो हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के साथ अन्य खातेदार भी प्रभावित पक्षकार है, किसी अन्य खातेदार की रास्ता बाबत आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर